श्रीमती संगीता सिंह,
आई0ए0एस0
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्टेट एजेन्सी फार काम्प्रीहेन्सिव हेल्थ एण्ड इंटीग्रेटेड सर्विसेज (साचीज)
चतुर्थ तल, नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ–226001
अर्द्ध शा0 पत्रांक : 597/18 लखनऊ : दिनांक : 31 अगस्त, 2018
फोन न0 : 0522–6671125, फैक्स न0 : 0522–6671128
ई–मेल : uprsby@yahoo.co.in
वेबसाईट : www.sachis.in

विषय : आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एन0एच0पी0एम0) के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कार्यवाही के सम्बन्ध में।

प्रिय *महोदय,*

आप अवगत हैं कि आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एन0एच0पी0एम0) का क्रियान्वयन दिनांक 25 सितम्बर 2018 से प्रारम्भ हो रहा है। जनपद स्तर पर योजना के समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु समस्त तैयारियां दिनांक 15 सितम्बर 2018 तक पूर्ण हो जानी चाहिए। योजना के प्रारम्भ से पूर्व समस्त जनपदों में दिनांक 04 सितम्बर 2018 से क्रमबद्ध पायलट रन प्रस्तावित है। योजना के क्रियान्वयन से पूर्व तीन महत्वपूर्ण कार्यवाही जिन पर आपके स्तर से गहन अनुश्रवण की आवश्यकता है, निम्नवत् हैं :–

1. **चिकित्सालयों को इन्पैनल करना** – शासनादेश दिनांक 12 जुलाई 2018 के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उससे बड़े समस्त राजकीय चिकित्सालय योजना के अन्तर्गत स्वतः आबद्ध (deemed empanelled) माने जायेंगे। इस सम्बन्ध में यह अपेक्षा की जाती है कि ऐसे समस्त राजकीय चिकित्सालयों को योजना में इन्पैनल करने के लिए वेबसाइट – www.abnhpm.gov.in पर अविलम्ब ऑनलाईन आवेदन करने हेतु आपके स्तर से निर्देश जारी किये जायें। योजना में यह प्राविधान किया गया है कि पैकेज की धनराशि राजकीय चिकित्सालयों के रोगी कल्याण समिति के खाते में जमा की जायेगी जो चिकित्सालय के विकास में प्रयुक्त हो सकती है।

   निजी चिकित्सालयों को अनुबन्धित करने हेतु जनपद के समस्त निजी चिकित्सालयों के साथ बैठक करते हुए उन्हें योजना के सम्बन्ध में अवगत कराये जाने तथा ऑनलाईन आवेदन करने हेतु उन्हें प्रेरित किये जाने की आवश्यकता है। वेबसाइट – www.abnhpm.gov.in पर हॉस्पिटल इन्पैनलमेन्ट हेतु आवेदन तथा वेबसाइट www.sachis.in पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित पैकेजों की सूची उपलब्ध है। ऐसे चिकित्सालय जो NABH प्रमाणित हैं, उन्हें पैकेज का 15 प्रतिशत अतिरिक्त तथा जिन चिकित्सालयों में स्नाकोत्तर शिक्षा की व्यवस्था है, उन्हें 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि अनुमन्य होगी। डिस्ट्रिक्ट इन्पैनलमेन्ट कमेटी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि चिकित्सालयों के आवेदन में चिकित्सालय में उपलब्ध स्पेशियलिटीज तथा उसके अनुरूप मानव संसाधन (स्पेशलिस्ट) का अंकन हो। दूरस्थ एवं छोटे जनपदों में पर्याप्त संख्या में चिकित्सालयों को अनुबन्धित करने हेतु empanelment criteria में शिथिलीकरण की संस्तुति भी आवश्यकतानुसार की जाये।

2. **मानव संसाधन का चयन एवं तैनाती** – शासनादेश दिनांक 27 जुलाई 2018 द्वारा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति को जनपद स्तर पर डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेन्टेशन यूनिट स्थापित करने हेतु आवश्यक पदों पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से चयन का अधिकार दिया गया है। प्रत्येक जनपद में एक डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को–ऑडिनेटर, एक डिस्ट्रिक्ट इन्फॉरमेशन सिस्टम्स मैनेजर तथा एक डिस्ट्रिक्ट ग्रिवान्स मैनेजर की तैनाती की जानी है।

योजना में चयनित चिकित्सालयों में आरोग्य मित्र (आयुष्मान मित्र) की तैनाती हेतु शासनादेश दिनांक 27 जुलाई 2018 द्वारा दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं। आरोग्य मित्र द्वारा लाभार्थियों की पहचान करने तथा उन्हें अनुबन्धित चिकित्सालय में योजनान्तर्गत निर्धारित मानक के अनुसार निःशुल्क चिकित्सा उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने में सहायता की जायेगी। समस्त चयनित राजकीय चिकित्सालयों में तत्काल आरोग्य मित्र नामित किये जायेंगे तथा चयनित निजी चिकित्सालयों में आरोग्य मित्र सम्बन्धित चिकित्सालयों द्वारा स्वयं चयनित किये जायेंगे। आपसे अपेक्षा की जाती है कि आवश्यक मानव संसाधन का चयन एवं तैनाती यथाशीघ्र सुनिश्चित की जाये जिससे दिनांक 07 सितम्बर 2018 से योजना के प्रस्तावित पायलट रन में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो। अब भी कतिपय जनपदों में आबद्ध राजकीय चिकित्सालयों में आरोग्य मित्र चयनित/नामित नहीं किये गये हैं।

3. **चिकित्सालय में हेल्प–डेस्क तथा PoS स्थापित करना** – समस्त चयनित चिकित्सालयों में लाभार्थियों की पहचान, पैकेज प्री–ऑथराईजेशन आदि गतिविधियों हेतु PoS स्थापित किया जायेगा जिसमें आवश्यक आई0टी0 उपकरण लगाये जायेंगे। प्रत्येक जनपद के चयनित 04 राजकीय चिकित्सालयों में आवश्यक आई0टी0 हार्डवेयर क्रय करने हेतु धनराशि जारी कर दी गई है। दिये गये निर्देशों के अनुरूप आवश्यक हार्डवेयर उपकरण क्रय करते हुए PoS स्थापित करने की कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाये। इसके अतिरिक्त PoS के पास एक हेल्प–डेस्क स्थापित किया जायेगा जहां लाभार्थियों को हॉस्पिटल बुकलेट उपलब्ध कराई जायेगी जिसमें जनपद में अनुबन्धित चिकित्सालयों की सूची तथा योजना के लाभ एवं उन्हें प्राप्त करने की विधि का उल्लेख होगा। प्रचार–प्रसार तथा लाभार्थियों की सहायता हेतु इस पत्र के साथ ई–मेल द्वारा सी0डी0आर0 फाईल में हेल्प–डेस्क के बैक ड्रॉप का प्रारूप भी प्रेषित किया जा रहा है। इस प्रारूप के अनुसार बैक ड्रॉप बनवाकर हेल्प–डेस्क के पास लगाया जाये।

यह उल्लेखनीय है कि योजना की तैयारियों की प्रत्येक गतिविधि में उपलब्धि की जनपद वार ऑनलाइन समीक्षा भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा की जा रही है। अधिकांश जनपदों द्वारा एडिशनल डाटा कलेक्शन ड्राइव में सराहनीय कार्य किया गया है परन्तु कतिपय जनपदों में डाटा फीडिंग का कार्य संतोषजनक नहीं है।

अतः उपरोक्त गतिविधियों में भी अपेक्षित सफलता हेतु आपके स्तर से सघन अनुश्रवण की आवश्यकता होगी जो योजना को राज्य में समयबद्ध रूप से क्रियान्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मेरा विश्वास है कि आपके सहयोग से वंचित एवं गरीब लाभार्थियों को उच्च गुणवत्ता की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में उत्तर प्रदेश राज्य अग्रणी होगा।

भवदीया

(श्रीमती संगीता सिंह)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

श्री/सुश्री .....
मुख्य चिकित्साधिकारी
जनपद .....